2019/00142

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 97 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2019		

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र कृषि भूमि खाता दुरूस्ती में नाम व कृषि भूमि रक्बा सही करने बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। संलग्न खातेदारी सनद, आंवटन आदेश, ई.न. 19,66, जमाबन्दी, गिरदावरी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी हल्का मगनवाला की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक बरसलपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बज्जू की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 18MGM तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 आधार में खाता संख्या 43 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)			आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)		
1	18 MGM	43	मघाराम पुत्र केशराराम कौम हरिजन निवासी डेलाणा तह. लूणकरणसर जिला बीकानेर स्मालपेच आंवटन			मघाराम पुत्र केशराराम, परमेश्वरी पत्नी मघाराम कौम हरिजन निवासी डेलाणा तह. लूणकरणसर जिला बीकानेर स्मालपेच आंवटन		
			मुरब्बा नं.	किला नं.	भूमि वर्गीकरण	मुरब्बा नं.	किला नं.	भूमि वर्गीकरण
			1/14	15,20/2	कमाण्ड	1/14	15,20/2	कमाण्ड
				कुल	2 बीघा		कुल	2 बीघा
			बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी			बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी		

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22.02.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner